# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

**राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./85/2024/बाड़मेर**

| अपीलांट | बनाम | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|---|
| 1. शंकराराम पुत्र रूपाराम<br>2. भवराराम पुत्र रूपाराम, जाति कुम्हार, निवासी सांगरानाड़ी, तह. पचपदरा, जिला बालोतरा। | | 1. गोमाराम पुत्र नगाराम<br>2. हपियोंदेवी पत्नी नगाराम जाति कुम्हार, निवासी सांगरानाड़ी, तह. पचपदरा, जिला बालोतरा।<br>**प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट–**<br>3. लूणाराम पुत्र पाबूराम जाति कुम्हार<br>4. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सांगरानाड़ी<br>5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा वर्तमान नयी तहसील पाटोदी।<br>6. शाखा प्रबंधक एस. बी. आई. शाखा पाटोदी। |

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 227/2019 बउनवान गोमाराम वगैरह बनाम शंकराराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 के विरूद्ध पेश हुई ।**

**उपस्थितः–**

1. वकील श्री पुनमाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पो. संख्या 01 व 02 की ओर से।

## –:निर्णयः–

**दिनांकः–29.07.2025**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 व 02 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा सांगरानाड़ी, तहसील पचपदरा वर्तमान पाटोदी के खसरा संख्या 2727/2725 रकबा 16.09 बीघा आवागमन हेतु

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा संलग्न नजरी नक्शे अनुसार ए से बी तक बरंग लाल यानि राजकीय भूमि खसरा संख्या 2724/2583 व विप्रार्थीगण/अपीलांट संख्या 01 व 02 की भूमि खसरा संख्या 2730/2725 व 2731/2725 रकबा 37.08 व 37.01 बीघा व विप्रार्थी संख्या 03 के खसरा संख्या 2726/2725 में से 20 फीट आम रास्ते की मांग अपने खेत खसरा संख्या 2727/2725 रकबा 16.09 बीघा में आवागमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई जिससे अपीलांट के खेत खसरा संख्या 2730/2725 को दो टुकडों में विभाजित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। साथ ही प्रार्थीगण/रेस्पो0 सख्या 01 व 02 अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 2727/2725 में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्तानुसार समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 लगायत 06 प्रफोर्मा पक्षकार होने से अपीलांट द्वारा उक्त के विरूद्ध अनुतोष नहीं चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 व 02 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा सांगरानाड़ी तहसील पचपदरा वर्तमान पाटोदी के खसरा संख्या 2727/2725 रकबा 16.09 बीघा आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा संलग्न नजरी नक्शे अनुसार ए से बी तक बरंग लाल यानि राजकीय भूमि खसरा संख्या 2724/2583 व विप्रार्थीगण/अपीलांट संख्या 01 व 02 की भूमि खसरा संख्या 2730/2725 व 2731/2725 रकबा 37.08 व 37.01 बीघा व विप्रार्थी संख्या 03 के खसरा संख्या 2726/2725 में से 20 फीट आम रास्ते की मांग अपने खेत खसरा संख्या 2727/2725 रकबा 16.09 बीघा में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान करने का आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई जिससे अपीलांट के खेत खसरा संख्या

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2730/2725 को दो टुकडों में विभाजित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। साथ ही प्रार्थीगण/रेस्पो0 सख्या 01 व 02 अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 2727/2725 में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था, जो वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 2766/2767 के दक्षिणी मांठ व खसरा सख्या 2725/2583 की पूर्वी मांठ से अपीलांट्स अपने खेत खसरा संख्या 2844/2725 रकबा 0.9712 हैक्टेयर में से चलता है। जो प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु मौके पर चालू हालात में है एवं प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। जो अपीलाधीन आवेदन में संलग्न मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधि0 की धारा 251– ए के प्रावधान हस्तगत प्रकरण में लागू भी नहीं होते हैं। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए दुषित मंशा सें अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स व उसके पड़ोसी के मध्य अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध दुरभी संधि कर अपीलांट को नाहक नुकशान पहुंचाने के इरादे से अपीलाधीन आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। केवल मात्र प्रार्थीगण की सुविधानुसार अपीलांट के खेत में से रास्ते हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जबकि विधि अनुसार रास्ता कृषक की सुविधा अनुसार नहीं अपितु अत्यधिक आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए प्रदान किया जाता है। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु रास्ता खसरा संख्या 2766/2767 के दक्षिणी मांठ व खसरा सख्या 2725/2583 की पूर्वी मांठ में से उपलब्ध होने से नये रास्ते की आवश्यकता ही नहीं रहती है। इस आधार पर अपीलांट के खेत में से रास्ते का आदेश करना कानून सार्थक नहीं है। साथ ही अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी खेत खसरा संख्या 2730/2725 के दो टुकड़ा कर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। उक्तानुसार समस्त कथनों एवं मौका रिपोर्ट से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कहीं अधिक दूरी के हैं। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं रही। इस त्रुटिपूर्ण आदेश का ज्ञान अपीलांटगण को होते ही अपीलांट के द्वारा उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया और नकलें प्राप्त की गयी। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाई गई। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट्स/विप्रार्थी 1 व 2 के हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 2730/2725 को दो टुकड़ों में विभाजित करते हुए रास्ता पारित किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के मूल सिद्धान्तों के विपरीत प्रतीत होता है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.20232 के विन्दु संख्या 02 भी स्पष्ट अंकन है कि "खसरा सख्या 2727/2725 में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता जो पाटोदी–बड़नावा जागीर सड़क से खसरा संख्या 2737/2714, 2765/2567(जो निजी खातेदारी में रास्ता बाबत् समर्पित भूमि है) जो मौके पर चालु है जो आगे खसरा संख्या 2766/2567 के दक्षिणी मांठ से खसरा संख्या 2725/2583 की पूर्वी माठ तक है।" मौका रिपोर्ट के उक्त कथनों को नजरअंदाज करते हुए वैकल्पिक चालू रास्ते की जगह अन्य प्रस्तावित मार्ग का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 227/2019 बउनवान गोमाराम वगैरह बनाम शंकराराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि यथासंभव बाबत् कटाण/चलायमान रास्ते संबंधित वर्तमान मौका रिपोर्ट तल्ब कर वास्तविक मौके अनुसार ही विधि सम्मत आदेश पारित करे तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

29/7/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/7/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर